न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 100/1997
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

रामचन्द्र पुत्र श्री नानकराम जाति जाट निवासी 36 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

मनफूलराम पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी खांटा हाल समेजा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :

श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 12–07–2017

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25–02–1995 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी अपने पिता का अकेला वारिस है। पिता के नाम चक 33 पी0एस0 का मुरब्बा नं0 1 प0 सं0 263/290 में 9–00 बीघा, 2.238 है0 नहरी भूमि है जो खेवट खतौनी सं0 नई 80 पुरानी 78 है। इसके अलावा अप्रार्थी के पिता श्योलाल के नाम से चक 33 पी0एस0 का मु0 नं0 73 प0 न0 262/291 में 16–00 बीघा, 4.046 है0 जो खेवट खतौनी सं0 60 पुरानी 58 है। इसके अलावा चक 15 पी0टी0डी0ए के मु0 नं0 31 प0 नं0 271/347 में अप्रार्थी के पिता के नाम 24–00 बीघा एवं मु0 नं0 28 के प0 सं0 271/346 में 17–13 बीघा भूमि है। इस प्रकार उक्त चारों मुरब्बों में कुल 66–13 बीघा भूमि अप्रार्थी के पिता के पास है। अप्रार्थी का पिता फौत हो चुका है। उक्त जमीन का अकेला वारिस अप्रार्थी है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के तथ्य को छिपा कर चक लखाटीबा में दिनांक 18–7–92 को मु0 नं0 445 की 25–00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन करवाई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जॉच की जाकर रकबा बहक सरकार लिया जावे।

शिकायत के संबंध में रिपोर्ट व रेकार्ड प्राप्त किया गया। बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी अपने पिता का अकेला वारिस है। पिता की समस्त भूमि 66–13 बीघा भूमि उसे प्राप्त हुई है। इस भूमि को छिपाकर अप्रार्थी द्वारा चक लखाटीबा में दिनांक 18–7–92 को मु0 नं0 445 की 25–00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन करवाई है जबकि अप्रार्थी 25–00 बीघा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

रखने का अधिकारी है, शेष भूमि सीमा से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि रेकार्ड देखकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता रामचन्द्र द्वारा तहसीलदार, रायसिंहनगर को प्रार्थना पत्र दिनांक 29–12–94 को प्रस्तुत कर अप्रार्थी को चक लखा टिब्बा में पुख्ता भूमि आवंटन की तस्दीक मॉगने पर , टी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 29–12–94 के अनुसार सैल रजिस्टर के खाता सं0 35/27 के मुताबिक उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 18–7–92 के अनुसार आवंटी मनफूल पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन खांटा को चक लखा टिब्बा के मु0 नं0 445 के किला नं0 1 ता 25, 6.325 है0 आराजी रकबा आवंटन होना दर्ज है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 4–5–94 के अनुसार चक 33 पी0एस0 के मु0 नं0 93 4.048 है0 नहरी भूमि खातेदारी व मु0 नं0 9 की 2.238 है0 नहरी भूमि गैरखातेदारी भूमि अप्रार्थी के पिता श्योलाल के नाम से दर्ज रेकार्ड है। श्योलाल फौत हो गया है। उसका इकलोता बेटा मनफूल है, जिसके भी कोई औलाद नहीं है और ना ही कोई बहिन है। पटवार मण्डल 15 पीटीडी चक में 43–00 बीघा पुरानी खातेदारी श्योलाल के नाम से बताई है जिसपर उसका इकलोता बेटा मनफूल काबिज है। मनफूल ने अपने नाम से चक लखा टिब्बा में एक मुरब्बा 25–00 बीघा बारानी भूमि और आवंटन गलत हल्फनामा देकर पुख्ता करवाई है। इस प्रकार अकेले मनफूल के पास 93–00 बीघा भूमि हो जाती है जो सीलिंग सीमा से प्रभावित होती है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2के/2233 दिनांक 25–7–2000 के अनुसार रिपोर्ट पटवारीयान – श्योलाल के नाम चक 33 पी0एस0 में मु0 नं0 1 में 2.238 है0 नहरी भूमि, मु0 नं0 4 में 4.048 है0 नहरी खातेदारी भूमि है। चक 15 पी0टी0डी0 ए में मु0 लं0 271/347 में 24–00 बीघा कमाण्ड एवं मु0 20 नं0 275/346 में 17–13 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि श्योलाल के नाम से है जो जरिये इंतकाल सं0 64 दिनांक 1.6.99 द्वारा मनफूल के नाम विरासतन दर्ज हुआ है। मु0 नं0 271/346 में कि0 नं0 10 व 11 की 1–02 बीघा कमाण्ड भूमि मनफूल राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर शाखा रायसिंहनगर के नाम दान कर चुका है जिसका अमल दरामद इंतकाल सं0 66 दिनांक 5–2–99 द्वारा हो चुका है। श्योलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खांटा हाल समेजा के नाम से लखा टिब्बा में मु0 नं0 445 में 25–00 बीघा बारानी भूमि पुख्ता आवंटन है किन्तु आवंटन 25–00 बीघा का रेकार्ड में अमल नहीं है। आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी मनफूल को पत्रावली सं0 957/92 के माध्यम से दिनांक 18–7–92 को चक लखा टिब्बा के मु0 नं0 445 के किला सं0 1 से 25 कुल 25–00 बीघा आवंटित की गई है। आवंटन आदेश की प्रति आवंटन पत्रावली में शामिल है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पास कुल 93–00 बीघा भूमि है, जिसमें से 1–02 बीघा विद्युत विभाग को दान में दी हुई है, जिसका अमल दरामद इंतकाल सं0 66 दिनांक 5–2–99 द्वारा हो चुका है। इस प्रकार 93.00 बीघा – 1.02 बराबर 91–18 बीघा भूमि अप्रार्थी मनफूल के पास शेष रहती है। यह तथ्य भी निर्विवादित साबित है कि पिता से प्राप्त भूमि के तथ्य को छिपाकर चक लखा टिब्बा में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर मु0 नं0 445 में 25–00 बीघा बारानी भूमि का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
रायसिंहनगर

पुख्ता आवंटन करवाया है। इस प्रकार, शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में होती है। इस प्रकार अप्रार्थी मनफूल के नाम से कुल 91–18 बीघा भूमि है, जिसका चक लखा टिब्बा की 25–00 बीघा बारानी भूमि है, को नहरी में परिवर्तित करने पर 12–10 बीघा नहरी भूमि बनती है। इस प्रकार 91–18 बीघा भूमि में से 12–10 बीघा भूमि कम करने पर शेष 79–08 बीघा नहरी भूमि बनती है जबकि वह 25–00 बीघा नहरी भूमि धारण करने का अधिकारी है, शेष 54–08 बीघा नहरी भूमि सीमा से अधिक होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी मनफूल के द्वारा 54–08 बीघा नहरी भूमि सीमा से अधिक धारित होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी मनफूल के धारण में से 54–08 बीघा नहरी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे तथा भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित करवाई जावे। आदेश की प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर